दिनांक	आज्ञा पत्र	
13 12 17	वकुलायै फरीकैन उपस्थित । बहस अपील सुनी गई । बहस पर मनन किया गया । अदालत मातहत के आदेश का अवलोकन किया गया ।अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-1 दोनों सगे भाई है । अपीलान्ट की खातेदारी का ख0नं0 101 तथा रेस्पोडेन्ट सं0-1 की खातेदारी का ख0नं0 105 है ।ख0नं0 101 के उत्तर दिशा में ग्राम चन्द्रपुरा से ग्राम जवाहरपुरा व जवाहरपुरा के जोहड में एक कटानी रास्ता पूर्व से पश्चिम जाता है। रेस्पोडेन्ट सं0-1 ख0नं0 101 के पूर्व सीमा के सहारे सहारे जाकर खेत ख0नं0 105 में आता जाता है इसके अलावा कोई रास्ता नहीं । यह रास्ता 12 फुट चौडा दिलाये जाने का निवेदन किया । अदालत मातहत ने प्रकरण को दिनांक 30-5-17 को कैम्प भारू में रख ली। कैम्प भारू में रखे जाने बाबत पत्रावली में अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं तथा पत्रावली दिनांक 30-5-17 को केवल जबाब हेतु नियत थी । प्रकरण में दिनांक 30-5-17 को अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही आदेश पारित कर दिया । इतना ही नहीं आदेश पारित होने के बाद भी प्रकरण में दिनांक 3-7-17, 10-8-17, अर्थात आगे से आगे पेशियाँ जबाब हेतु पडती रही है । प्रकरण में आगामी पेशी 17-12-17 नियत है जो जबाब हेतु नियत है । इससे यह स्पष्ट है कि प्रकरण में बिना किसी प्रकार की सुनवाई किये बिना साक्ष्य सबूत लिये आदेश पारित किया अत:जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। अत: हम यहां पर यह उचित मानते है कि प्रकरण को अदालत मातहत का इस निर्देश के साथ रिमाण्ड	

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू का निर्णय दिनांक 30-5-17 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत का अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 10-1-2018 को उपस्थित होवें । निर्णय सुनाया गया । 13/12/17 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	